

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर
पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 215 सन 2019

अनवान :-

1. राधेश्याम पुत्र जगदीश जाति जाट निवासी राजपुरिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. जगदीश पुत्र निहालसिंह जाति जाट निवासी राजपुरिया तहसील नोहर।
2. मायादेवी पुत्री जगदीश पत्नि मंगलसिंह जाति जाट निवासी केहरवाला तहसील सिरसा
3. कलावती पुत्री जगदीश पत्नि विजय जाति जाट निवासी केहरवाला तहसील सिरसा
4. प्रबन्धक एक्सीस बैंक शाखा नोहर तहसील नोहर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदार अधिवक्ता वादी
पेसेकार राज

निर्णय दिनांक :- 01/01/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा 13 जेएसएन के खाता संख्या 81/57 के कुल किता 54 की कुल 12.9060 हैक् भूमि में से प0न0 361/402(33) किला न0 15 ,16 ,25 प्रत्येक 0.228 , प0न0 361/403(38) के किला न0 5 ,6 प्रत्येक की 0.228 , प0न0 362/402(34) किला न0 11/2 की 0.114 , कुल 1.3790 हैक् , व रोही मौजा 7 बाराणी के खाता संख्या 378 की कुल 7.3360 हैक् में से प0न0 366/408(139) के किला न0 12 ,13 ,18 ,19 ,22 ता 24 /1. 771 हैक् प0न0 366/409(193) के किला न0 2/1 की 0.215 ,3/0.227 ,4/0.228 ,9/1 की 0.244 ,12/2 की 0.240 ,19/2 की 0.026 ,22/1 की 0.013 ,प0न0 366/410(196) किला न0 2 ,9/0.506 हैक् मु0न0 0 किला न0 0/29 गै0मु0 रास्ता कुल 3.542 हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा हरदयाल वल्द धोकल के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा हरदयाल वल्द धोकल के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा हरदयाल वल्द धोकल के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पत्ति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 वादी की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 2, ता 3 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता ,3 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो उपखण्डाधिकारी के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 बहिब के खातेदार नोहर

काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 स्वयं न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता हरदयाल वल्द धोकल के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 3, जो वादी की बहन एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है ने निवेदन किया की उन्होंने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाईयों/पिता वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाल दावा पेश किया गया। ईकबाल दावा तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 5 परोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा 13 जेएसएन के खाता संख्या 81/57 के कुल किता 54 की कुल 12.9060 हैक् भूमि में से प0न0 361/402(33) किला न0 15, 16, 25 प्रत्येक 0.228, प0न0 361/403(38) के किला न0 5, 6 प्रत्येक की 0.228, प0न0 362/402(34) किला न0 11/2 की 0.114, कुल 1.3790 हैक्, व रोही मौजा 7 बारानी के खाता संख्या 378 की कुल 7.3360 हैक् में से प0न0 366/408(139) के किला न0 12, 13, 18, 19, 22 ता 24 /1. 771 हैक् प0न0 366/409(193) के किला न0 2/1 की 0.215, 3/0.227, 4/0.228, 9/1 की 0.244, 12/2 की 0.240, 19/2 की 0.026, 22/1 की 0.013, प0न0 366/410(196) किला न0 2, 9/0.506 हैक् मु0न0 0 किला न0 0/29 गै0मु0 रास्ता कुल 3.542 हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा हरदयाल वल्द धोकल के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा हरदयाल वल्द धोकल के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा हरदयाल वल्द धोकल के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 वादी की बहने हैं एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 2, ता 3 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

परोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 13 जेएसएन के खाता संख्या 81/57 के कुल किता 54 की कुल 12.9060 हैक् भूमि में से प0न0 361/402(33) किला न0 15, 16, 25 प्रत्येक 0.228, प0न0 361/403(38) के किला न0 5, 6 प्रत्येक की 0.228, प0न0 362/402(34) किला न0 11/2 की 0.114, कुल 1.3790 हैक्, व रोही मौजा 7 बारानी के खाता संख्या 378 की कुल 7.3360 हैक् में से प0न0 366/408(139) के किला न0 12, 13, 18, 19, 22 ता 24 /1. 771 हैक् प0न0 366/409(193) के किला न0 2/1 की 0.215, 3/0.227, 4/0.228, 9/1 की 0.244, 12/2 की 0.240, 19/2 की 0.026, 22/1 की 0.013, प0न0 366/410(196) किला न0 2, 9/0.506 हैक् मु0न0 0 किला न0 0/29 गै0मु0 रास्ता कुल 3.542 हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 से दर्ज है।


9060हैक भूमि में से प0न0 361/402(33) किला न0 15 ,16 ,25प्रत्येक 0.228 , प0न0 361/403(38) के किला न0 5 ,6 प्रत्येक की 0.228 , प0न0 362/402(34) किला न0 11/2 की 0.114 , कुल 1.3790हैक , व रोही मौजा 7 बारानी के खाता संख्या 378 की कुल 7.3360हैक में से प0न0 366/408(139) के किला न0 12 ,13 ,18 ,19 ,22 ता 24 /1.771हैक प0न0 366/409(193) के किला न0 2/1 की 0.215 ,3/0.227 ,4/0.228 ,9/1 की 0.244 ,12/2 की 0.240 ,19/2 की 0.026 ,22/1 की 0.013 ,प0न0 366/410(196) किला न0 2 ,9/0.506 हैक मु0न0 0 किला न0 0/29 गै0मु0 रास्ता कुल 3.542हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 से दर्ज है।

जमाबन्दी सन- 2008 के अनुसार वाद भूमि मंगतुराम पुत्र चेताराम के नाम से दर्ज थी अर्थात वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा हरदयाल वल्द धोकल के नाम से दर्ज है वादी के दादा हरदयाल वल्द धोकल के देहान्त होने के वाद विरास्तन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है विरास्तन से भूमि वादी के पिता के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पत्ति होना साबित है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 ,8 के अनुसार पैतृक सम्पत्ति में वादी का हक हिस्सा है अर्थात दादा की सम्पत्ति में पौते/पौतियों को बराबर का हक हिस्सा होगा। अर्थात वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 बहिब के हकदार है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या ,2 ता 3 जो वादी की बहने है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या ,2 ता ,3 स्वय न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के सामर्थन में इकबाल भी पेश किया जा चुका है जो तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया जा चुका है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुलो एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नहीं होने पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा 7 बारानी के खाता संख्या 378 के प0न0 366/409(193) के किला न0 2/1 की 0.215 ,3/0.227 ,4/0.228 ,9/1 की 0.244 ,12/2 की 0.240 ,19/2 की 0.026 ,22/1 की 0.013 ,प0न0 366/410(196) किला न0 2 ,9/0.506 हैक मु0न0 0 किला न0 0/29 की 0.0750हैक गै0मु0 रास्ता कुल 1.771हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 से दर्ज है का वादी खातेदार काश्तकार धोषित किया जात है तथा व रोही मौजा 7 बारानी के खाता संख्या 378 की कुल 7.3360हैक में से प0न0 366/408(139) के किला न0 12 ,13 ,18 ,19 ,22 ता 24 /1.771हैक एवं रोही मौजा 13 जेएसएन के खाता संख्या 81/57 के कुल कित्ता 54 की कुल 12.9060हैक भूमि में से प0न0 361/402(33) किला न0 15 ,16 ,25प्रत्येक 0.228 , प0न0 361/403(38) के किला न0 5 ,6 प्रत्येक की 0.228 , प0न0 362/402(34) किला न0 11/2 की 0.114 , कुल 1.3790हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो ।

निर्णय आज दिनांक 01/01/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।


 मुख्यालय अधीकार (राजस्व)
 नोहर (हनुमानगढ़)

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ला दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. राधेश्याम पुत्र जगदीश जाति जाट निवासी राजपुरिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

- 1 जगदीश पुत्र निहालसिंह जाति जाट निवासी राजपुरिया तहसील नोहर।
2. मायादेवी पुत्री जगदीश पत्नि मंगलसिंह जाति जाट निवासी केहरवाला तहसील सिरसा
3. कलावती पुत्री जगदीश पत्नि विजय जाति जाट निवासी केहरवाला तहसील सिरसा
4. प्रबन्धक एक्सीस बैंक शाखा नोहर तहसील नोहर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।


प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 215 सन 2019 निर्णय दिनांक- 01/01/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कौचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं परोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा 7 बारानी के खाता संख्या 378 के प0न0 366/409(193) के किला न0 2/1 की 0.215 ,3/0.227 ,4/0.228 ,9/1 की 0.244 ,12/2 की 0.240 ,19/2 की 0.026 ,22/1 की 0.013 ,प0न0 366/410(196) किला न0 2 ,9/0.506 हैक मु0न0 0 किला न0 0/29 की 0.0750 हैक गै0मु0 रास्ता कुल 1.771 हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 से दर्ज है का वादी खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है तथा व रोही मौजा 7 बारानी के खाता संख्या 378 की कुल 7.3360 हैक में से प0न0 366/408(139) के किला न0 12 ,13 ,18 ,19 ,22 ता 24 /1.771 हैक एवं रोही मौजा 13 जेएसएन के खाता संख्या 81/57 के कुल कित्ता 54 की कुल 12.9060 हैक भूमि में से प0न0 361/402(33) किला न0 15 ,16 ,25 प्रत्येक 0.228 , प0न0 361/403(38) के किला न0 5 ,6 प्रत्येक की 0.228 , प0न0 362/402(34) किला न0 11/2 की 0.114 , कुल 1.3790 हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलगन 5000/- रू स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 1/1/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)